

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 2132/2025

Prakash Chand Jain S/o Shri Kanhaiya Lal Jain

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Sandeep Saxena, Adv.

For Respondent(s) : Mr. Devi Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

04/05/2026

आई.ए. 1/26 पर सुना गया।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किये जाने के आदेश को इस निगरानी याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है।

संपूर्ण आरोप पत्र की प्रतियां मय इंडेक्स प्रस्तुत नहीं की गई हैं, इस आक्षेप को वेव किये जाने हेतु इस आधार पर निवेदन किया कि आरोप पत्र प्रस्तुति के समय चालान की जो प्रतियां मिली, वे पेश कर दी गई हैं, अतः आक्षेप वेव किये जावें।

आरोप पत्र की जो प्रतियां पेश की गई हैं, वे अधिकांशतः अपूर्ण हैं, कार्यालय द्वारा इंगित आक्षेप वेव किया जाना उचित नहीं है, अभियुक्त पक्ष विचारण न्यायालय से संपूर्ण अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर प्रस्तुत कर सकता है, अतः आई.ए. 1/26 खारिज किया जाता है।

कार्यालय द्वारा इंगित आक्षेपों की पूर्ति हेतु याची-अभियुक्त को चार सप्ताह का समय दिया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J